



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-2817/MHOM/1/2025-RO-RPR/RU-I

दिनांक: 13.07.2026

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त,
भारत सरकार,
भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय,
जनगणना भवन, 2/ए, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली - 110011
संपर्क नंबर: 011-23388132
ई-मेल: rgi.rgi@nic.in

विषय: स्थानांतरण प्रकरण में विभाग द्वारा भेद-भाव करने" के संबंध में श्री चतर सिंह, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II, जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़, सेक्टर -24, नया रायपुर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त दिनांक 04.11.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.11.2025 एवं 13.02.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 23.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री चतर सिंह,
सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II,
जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़,
सेक्टर -24, नया रायपुर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।